हमारे जीवन में भोजन

भारत में एक वैकल्पिक खाद्य व्यवस्था की ओर
कुछ विचार और प्रयास

KALPAVRIKSH
कल्पवृक्ष

I. परिचय

भोजन, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। सदियों से भोजन से जुड़ी खाद्य उत्पादन और उपभोग की व्यवस्था ने मानव समुदायों और उनके वातावरण या परिदृश्य को बुनीयादी तौर पर परिभाषित किया है। इसके कारण संपूर्ण जैवविविधता प्रभावित हुई है जिसका परिणाम यह हुआ है कि कुछ प्रजातियां संकट के दौर से गुज़र रही है और कुछ की संख्या में भारी बढ़ोत्तरी हुई है। इसके अलावा भोजन लगातार पावर और नियंत्रण का एक साधन रहा है। हमारा भोजन हमारी थाली पर पहुचने से पहले कई स्तरों से होकर गुजरता है और यह सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, परिस्थितिकीय आयामों के साथ संबंधित होने के साथ-साथ हमारे जीवन की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है।

वर्तमान की वैश्विकृत अर्थव्यवस्था में भूमि, बीजों और बाजारों पर कॉर्पोरेट का नियंत्रण होने के कारण विविधता वाली खाद्य व्यवस्था का एकरूपता में बदलाव,पर्यावरणीय क्षति और सामाजिक अन्याय कई स्तरों पर हो रहा है। वैश्विक कार्पोरेट आधारित भोजन व्यवस्था सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में असफल रही है। साथ ही हमारे पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव ही पड़ा है। यह व्यवस्था असमानताओं वाली है। जहां एक ओर ऐसे लोग है जो अल्पपोषण और भूख से प्रभावित है, वही दूसरी तरफ ऐसे लोग भी है जो ज्यादा पोषण और आहार संबंधी बिमारीयों[१] से ग्रस्त हैं। साथ ही , ''लगभग सभी अल्पपोषित लोग, बहुत से अधिक वजन के लोग और कई सामान्य वजन के लोग ज़रूरी विटामिनों की और खनिजों[२] की कमी के कारण दुर्बलता से प्रभावित है।'' विश्व की ११ प्रतिशत और भारत की १५ प्रतिशत जनसंख्या अक्सर बिना भोजन के सोती[३] है। यह स्थिति तब है जब विश्व के कुल भोजन उत्पादन का ५० प्रतिशत और भारत के कुल खाद्य पदार्थों के उत्पादन का ४० प्रतिशत खराब या बर्बाद[४] हो जाता है। हमारे ग्रह की अनिश्चितता के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, व बड़े स्तर पर जैवविविधता की क्षति, बढ़ती हुई पानी की कमी, पर्यावरण प्रदूषण और बड़े स्तर पर अस्थिर बाजारों पर निर्भरता ने स्थिति को और भी खराब बनाया है।

वर्तमान में खाद्य व्यवस्थां में आधार-भूत बदलाव की मांग विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ रही है। यह मांग की जा रही है कि खाद्य व्यवस्थाओं में पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊपन और सामाजिक समानता के आधारों को शामिल किया जाए। आज भी कुल खपत होने वाले खाद्य का ७० प्रतिशत छोटे किसानों और कामगारों द्वारा उत्पादित किया जाता है। इन उत्पादित खाद्य पदार्थों का व्यापार करने वाले ८० प्रतिशत लोग स्थानीय बाजार से जुड़े हुए है और उनके व्यापार का तरीका अनौपचारिक[५] है।

१. ऐसी घटनाऐं भी सामनें आई हैं जिनमें एक व्यक्ति में ही ज्यादा पोषण और अल्प पोषण से जुड़ी समस्याओं को पाया गया है।

२. गार्डनर और बी.हालवेइल २०००, ओवरफेड और अंडफेड-द ग्लोबल इपेडेमिक ऑफ मालन्यूट्रिशन, बर्डवॉच पेपर १५०

३. एफ.ए.ओ.२०१५ की वर्ड हंगर पर रिपोर्ट

४. इंस्टीट्यूट ऑफ मेकेनिकल रिसर्च की ग्लोबल फूड वेस्ट की २०१३ रिपोर्ट के अनुसार

५. नायलेनि न्यूज़लेटर नंबर २७, सितंबर २०१६

लोगों के स्वस्थ रहने का अधिकार और पर्यावरण के अनुरूप और स्थायी तरीकों से संस्कृतिक के अनुरूप खाद्यानों का उत्पादन खाद्य संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। लोगों के अपने भोजन और कृषि व्यवस्थाओं परिभाषित करने का अधिकार भी खाद्य संप्रभुता से ही जुड़ा हुआ है[६]। इससे ही कृषि परिस्थितिकीय की अवधारणा भी जुड़ी हुई है। जबकि कृषि परिस्थितिकीय को सामाजिक आंदोलन, अध्ययन की एक विद्या, एक दृष्टिकोण के तौर पर नाना प्रकार से परिभाषित किया गया है, यह सभी परिभाषाएँ कृषिकार्य के लिए परिस्थितिकीय सिद्धांतो को समहित करते है।

II. वैकल्पिक खाद्य प्रणाली का दृष्टिकोण

कृषि परिस्थितिकीय के सिद्धांत और खाद्य संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए स्थायी और सुदृढ़ भविष्य के लिए वैकल्पिक खाद्य व्यवस्था को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि यह स्थानीय, पर्याप्त, पौष्टिक, विविध, सस्ता भोजन परिस्थितिकीय रूप से स्थायी और सामाजिक तौर पर आजीविका उत्पादन, प्रसंस्कारण, वितरण और उपभोग पर केंद्रित है जो ज्ञान और सांस्कृतिक बहुलता को कायम रखता है।

III. इस लेख के बारे में

यह लेख बताए गए दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए भारत में हो रहे प्रयासों और चुनौतियों के बारे में जानकारी देने का एक प्रयास है। और इसकी व्याख्या करने के लिए इस लेख में खाद्य व्यवस्थाओं के फ्रेमवर्क को आधार बनाते हुए भोजन से हमारे राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संबंधो का समन्वेषण किया है। ऐसे कई संभावित तरीकें है जिनका उपयोग वर्गीकरण करने में किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर इसे ४ प्रकार के अलावा इसके संबंध के आधार पर स्वास्थ, कला, साहित्य, जीवनशैली, कल्याण, अर्थशास्त्र,आदि के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। वैकल्पिक तौर पर वर्गीकरण बायोजियोग्राफिकल आधार पर हो सकता है जो खाद्य स्थिति को भारत के विभिन्न भौगोलिक भूपरिदृश्यों (लैंडस्केप) से जोड़ता है। प्रत्येक तरीके के अपने फायदे हो सकते है।

हमने जिस वर्गीकरण को इस लेख में आधार बनाया है वह वैकल्पिक फ्रेमवर्क पर आधारित है जिस पर विचार विमर्ष विकल्प संगम[७] की प्रक्रिया के तौर पर भारत भर में चल रहा है। इस फ्रेमवर्क के अनुसार समानता, न्याय और स्थायित्व को सुनिश्चित करते हुए विक्ल्पों के मूल सिद्धांत होने चाहिये: परिस्थितिकीय अखंडता, सामाजिक न्याय, आर्थिक प्रजातंत्र और सांस्कृतिक जैवविविधता। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले चार आयाम वैकल्पिक फ्रेमवर्क नोट के अनुरूप हैं।

इस तथ्य को स्वीकार करना भी ज़रूरी है की कई मुद्दे और प्रयास किसी एक श्रेणी से नही

६. खाद्य संप्रभुता पर फरवरी,२००७ के घोषणा पत्र के अनुसार

७. द सर्च फॉर अल्टरनेटिव– की आस्पेक्टस एंड प्रिन्चिपलः– http://www.vikalpsangam.org/about/the-search-for-alternatives-key-aspects-and-principles/

जुड़े हैं बल्कि कई श्रेणीयों या आयामों के तहत आते हैं। इस लेख को केवल एक शुरूआत माना जाना चाहिए जिसे आगे के विचार विमर्श और गतिविधियों के आधार पर सुधारा जा सकता है। खाद्य उत्पादन और उपयोग के सांस्कृति, राजनैतिक, आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक पहलू के बीच संबंध और परस्पर व्यापन को विस्तृत किया जा सकता है। इस लेख में बताए गए प्रयास संक्षिप्त में है और संपूर्ण नही है। सीमित जानकारी पर तैयार इस लेख में संभावना है कि कुछ महत्त्वपूर्ण और प्रसंगिक उदाहरणों की जानकारी न होने पर उन्हें शामिल न किया गया हो। यह भी आशा है कि आने वाले समय में इस लेख के अगले क्रम में उस जानकारी को शामिल किया जाएगा जो यहां पर छूट गई है।

नीचे बताया गया चित्र चार आयामों और भारत में चल रहें इनसे जुड़े प्रयासों को दर्शता है जो आपस में एक दूसरे से जुड़े है और जो वैकल्पिक खाद्य व्यवस्था के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में योगदान करते है।

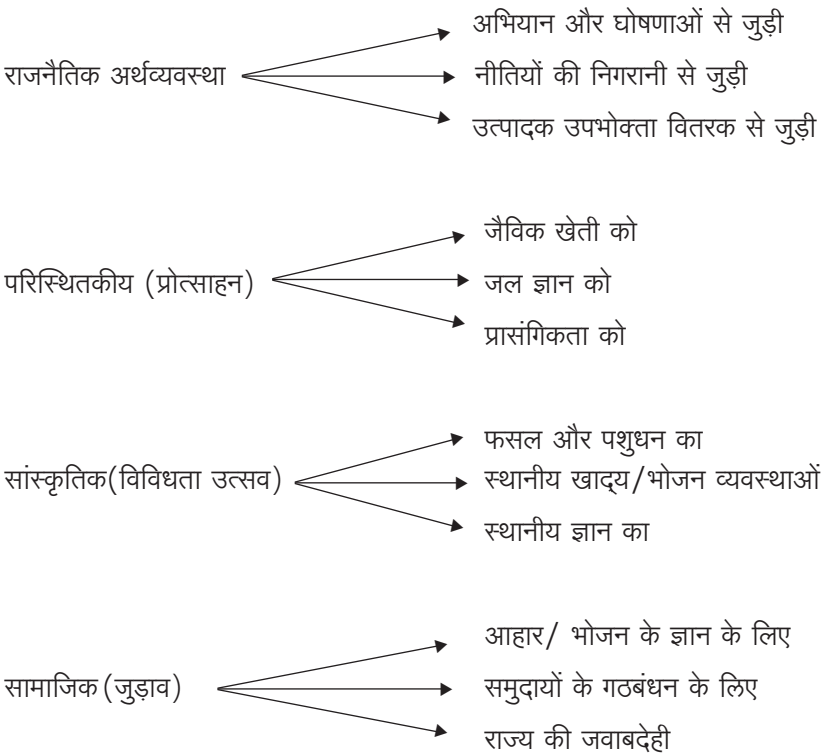

IV. आहार व्यवस्था के विभिन्न आयाम

१. भोजन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था:

भोजन से जुड़े नैतिक आयाम बताते हैं कि कैसे खाद्य उत्पादन, वितरण और भोजन तक पहुंच कैसे नियंत्रित होती है। क्यों वैश्विक खाद्य व्यापार में तीन बहुराष्ट्रीय कंपनीयों की भागीदारी ९० प्रतिशत है? क्यो विश्व के अन्य देशों और यूरोप–अमेरिका के बीच कुल व्यापार का ६० प्रतिशत है? क्या इस प्रकार का व्यापार सही मायनों में हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है? आहार संबंधित राजनिति ऐसे प्रश्नों को उठाती है और उनका जवाब देने का प्रयास करती है।

बड़े व्यापारिक संगठनों का खाद्य उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण होने के कारण आत्मनिर्भर उत्पादक वंचित उपभोक्ता में बदल रहे हैं जिन्हें भोजन या उत्पादन के लिए जरूरी सामग्री को खरीदनें के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जंगल के भोजन की विविधता और पहुंच जो समाज के बड़े हिस्स के लिए पोषण का महत्त्वपूर्ण पहलू है इस नियंत्रण की राजनीति के कारण प्रभावित हुई है। खाद्य राजनिति का एक महत्त्वपूर्ण आयाम छोटे खाद्य उत्पादकों के हितों की रक्षा करना है ताकि वो सम्मान के साथ आजीविका से जुड़े रहें। खाद्य पदार्थों की मार्केटिंग के उदारीकरण के संदर्भ में और इस क्षेत्र में बढ़ता हुआ सीधा विदेशी निवेंश के माहौल में भारत के अनौपचारिक छोटे पैमाने के (रेहडी पटरी वाले) खुदरा क्षेत्र की सुरक्षा आवश्यक है क्योंकि यह लोगों को आजीविका देने के साथ साथ उपभोक्ताओं को सस्ता भोजन उपलब्ध करता है। वनाधारित भोजन, पशुचरण और छोटे स्तर पर कलात्मक मछली पालन एक महत्त्वपूर्ण और सदियों पुरानी भोजन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है जो सीधे तौर पर जीवन शैली से संबंधित है। इन सभी व्यवस्थाओं में एक असुरक्षा की भावना आई है कि लोगों या समुदाय को उनके पारंपरिक वनों, चारा गाह और मछली पालन के क्षेत्रों तक पहुंच से वंचित रख रही है। इसके अलावा इन क्षेत्रों को नगद आधारित अर्थव्यव्स्था और अस्थिर बाजार के कारण भी दबाव सहना पड़ रहा है। इस मुद्दों को लेकर कई अभियान चल रहे है जो समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं लेकिन इन अभियानों के बाद भी राष्ट्रीय स्तर पर समुदायों के आहार व्यवस्था पर कम ध्यान दिया गया है। बड़े स्तर पर मछली से जुड़ी व्यवस्था के औद्योगिक और निर्यात आधारित प्रवृत्ती के कारण भी पारिस्थितिक और समानता से संबंधित नकारात्मक प्रभाव पड़े है। इन प्रभावों के समाधान की आवश्यकाता है। पिछलें चार दशकों से खाद्य संप्रभुता से जुड़े आंदोलनों की छोटी खाद्य श्रृंखला, आहार पर पहुंच पर प्रजातांत्रिक नियंत्रण, पोषण की असमानता[८] में कमी लाने और भौगोलिक तौर पर उपयुक्त खाद्य व्यवस्था बनाने की मांग रही है। अच्छे कानूनों और नीतियों की मांग आहार की राजनीति में हस्ताक्षेप से जुड़ी हुई है। इसके साथ–साथ आर्थिक रूप से प्रजांतात्रिक व्यवस्था के लिए उत्पादकों, उपभोक्ताओं और वितरकों को जोड़ने के लिए कई नेटवर्को की भी जरूरत है।

---

८. २६० मिलियन टन खादयानाजों का उत्पादन जैसे लक्ष्य आधारित तरीकों के बजाय

१.१ खाद्य संप्रभुता पर अभियान और घोषणाएं

छोटे उत्पादकों और वितरकों की आजीविका और सम्मान की सुरक्षा से जुड़े कुछ अभियानों को नीचे बताया गया है।

- २०१० में ४००० से अधिक किसानों, कार्यकर्ताओ और कलाकरों ने २१ राज्यों मे ७१ दिन लंबी किसान स्वराज्य यात्रा की थी। इसमें भोजन, किसान और स्वतंत्रता का संदेश दिया गया था। इस यात्रा के परिणाम स्वरुप एलायंस फॉर सस्टेनेबल ऐंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर या ए. एस. एच. ए का निर्माण किया गया जो कृषि संबंधित चुनौतियों की ओर पुरे देश का ध्यान आकर्षित कर रही है।

- तेलंगना और आंध्र प्रदेश में राज्य के आदिवासियों, दलितों परवाहों, मछुआरों, किसानों के सामाजिक आंदोलन प्रचारकों और सह उत्पादकों ने साथ मिलकर खाद्य संप्रभुता समूह को बनाया है। २०१५ में इस समूह के माथा गुदा घोषण पत्र में अपने भूमि, वनों, जल, हवा, परंपरिक बीजों और जानवरों, अपने विविधता वाली भोजन संस्कृती, ज्ञान व्यवस्था और स्थानिय बाजार पर सामूहिक अधिकार का दावा किया था। इस घोषणा पत्र में मातृ–भूमि के साथ अपने संबधों की सुरक्षा का आहवान किया गया ताकि इसको भविष्य कि पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जा सके।

- भारतीय एफ. डी. आई. वाच कैंपेन के तहत स्ट्रीट वेंडर (रेहडी पटरी विक्रेता) और छोटे किसानों के समूहों को संघठित कर दिया जा रहा है जिससे कि भारतीय खुदरा क्षेत्र पर बड़े बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के नियंत्रण से बचाया जा सके।

- मुक्त व्यापार समझौतों के खिलाफ फोरम या एफ. टी. ए. नई उदारवादी मुक्त व्यापार समझौतों और नितियों का विरोध करता है। नए उदारवादी मुक्त व्यापार वैश्विक खाद्य और कृषि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों / निगमों और उत्पाद जो खाद्य संप्रभुता और सुरक्षा पर एक खतरा हो सकते हैं, उनका विरोध करने के लिए देश में खुला मंच देता है।

- २००१ से भोजन को अधिकार का अभियान चल रहा है। यह कैंपेन प्रत्येक नागरिकों को भूख और कुपोषण से मुक्त कराने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। इस कैंपेन का सिद्धांत इस पर आधारित है कि भोजन के अधिकार को सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की है।

- मार्च २०१६ में आंध्रप्रदेश के महिलाओं के संगठन महिला किसान अधिकार मंच (एफ.ए.के.ए.ए.एम) या फोरम फॉर विमेन राइट्स ने बापतला घोषना को अपनाया था। जिसमें महिला किसानों ने मिलकर पहले अपने उपभोग के लिए पर्याप्त खाद्य उत्पादन, स्थायी आजीविका के निर्माण और सुरक्षा, संसाधनों के दोहन पर आधारित विकास के विरोध और समुदायिक संसाधनों के उपयोग के अधिकारों का संकल्प लिया था[९]। वैश्विक स्तर पर बहुराष्ट्रीय व्यापार समझौते हुए हैं जैसे भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार

९. स्रोत http://vikalpsangam.org/article/women-farmers-from-demand-recognition-empowerment-and-support-as-farmers/#.VwCMD_l97IU

समझौता। हमारे कानूनों और नीतियों पर कई कैंपेनों, नेटवर्कों, रिसर्चर और नीति विश्लेषकों की नजर रहती है। ये सभी नीतियों से जुड़ी चिंताओं को उठाने का प्रयास करते है और नीतियों में सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय को शामिल करने की वकालत लगातार करते रहते है।

१.२ राज्य स्तर पर अच्छी नीतियों की वकालत

कई राज्य स्तर के कार्यक्रमों और नीतियों का हमारे भोजन से जुड़े चयन पर प्रभाव पड़ता है। कुछ विकासशील राज्यों की नीतियों ने दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।

- २०११ से ओड़िशा में स्कूलों के लिए चावल को छोडकर सभी खाद्य पदार्थों की खरीदी करने के लिए विकेन्द्रीकृत व्यवस्था[१०]।
- केरल में महिलाओं आधारित समुदायिक विकास समिति–कुडुंबश्री की महिलाओं को खाद्य फसलों[११] की खेती के लिए पट्टे में भूमि को देना।
- आंध्रप्रदेश में जैविक, छोटे स्तर वाली, वर्षायुक्त कृषि को ग्रामिण गरीबी उन्मूलन समिति के माध्यम से प्रोत्साहन और जरूरी सहायता प्रदान करना[१२]।
- कुछ सालों पहले एकीकृत आंध्रप्रदेश के समय में खाद्य सुरक्षा क्रेडिट लाइन की विचार के तहत ग्रामीण स्तर पर अनाज खरीदने और वितरित करने के लिए एकत खिडकी (सिंगल विनडो) व्यवस्था का प्रयास किया गया था।
- कई राज्यों द्वारा जन वितरण (पी.डी.एस) मध्यहांन भोजन (मिड.डे.मील) कार्यक्रम आदि को ज्यादा पोषक और प्रजातांत्रिक बनाया गया है।
- सिक्किम, आंध्रप्रदेश और केरल[१३] जैसें राज्यों ने कृषि को जैविक बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण काम किया है।

राज्य स्तर की नीतियां सामाजिक और परिस्थितिकीय पहुलओं पर नकारात्मक योगदान भी दे सकती है। उदाहरण के लिए कुछ कारणों से बीफ पर पाबंदी से होने वाली पोषक तत्वों की कमी या स्थानीय किस्मों ने राज्यों स्तर पर जी.एम खाद्य फसलों के ट्रायल के लिए अनुमति देने से होने वाली मिलावट होना।

१.३ वैश्विक और राष्ट्रीय नीति

वैश्विक और राष्ट्रीय कानून और नीतियां खाद्य उत्पादन, वितरण और उपभोग को प्रभावित करती है। कुछ राष्ट्रीय कानून जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर खाद्य उत्पादन, वितरण और उपभोग से जुड़े हुए है उनको नींचे बताया गया है।

१०. http://vikalpsangam.org/static/media/uploads/Stories_PDFs/localgrainprocurement_thehindu05-04-2013.pdf

११. http://www.thehindu.com/opinion/lead/from-food-security-to-food-justice/article2848305.ece

१२. http://223.30.251.85:8090/documents/11369/37104/Food+security+guidlines.pdf/3111fa3f-b3cf-49c5-88fe-c616fb1d72a7;jsessionid=1DB60EF5086F17D5313E109D18289B2D

१३. यह महत्त्वपूर्ण है कि आर्गेनिक (जैविक) भोजन की वक्रपट्टता) से परे भोजन व्यवस्था के विभिन्न आयाम जैसे फसल का चयन, उत्पादन का पैमान और बाजार को परिस्थितिकीय समग्र रूप से लेना जरूरी है।

• भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास अधिनियम कानून, २०१३	यह अधिनियम भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और पुर्नावास की प्रक्रिया को बताता है।
• खादय सुरक्षा अधिनियम, २०१३	सब्सिडी वाले भोजन के लिए प्रावधान इस अधिनियम में हैं। इसको भोजन के अधिकार का अधिनियम के तौर पर भी जाना जाता है।
• पादप किस्म और किसान अधिकार अधिनियम, २००१	इसमें फसल पर संपत्ति और किसानों के बींजों पर अधिकार की प्रक्रियां को बताया गया है।
• बीज अधिनियम १९६६, बीज बिल २००४	यह अधिनियम बाजार में बीजों की उपलब्धता को नियंत्रित करता है।
• वन अधिकार अधिनियम २००६	यह अधिनियम पारंपरिक वन वासियों के वनों पर व्यक्तिगत और समुदायिक अधिकारों को दर्ज करने की प्रक्रिया को बताता है।
• कीटकनाशक प्रबंधन बिल २००८	इसका प्रभाव खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा । यह बिल अभी संसद के समक्ष है।
• मछुआरा अधिकार अधिनियम (ड्राफ्ट बिल, २००९)	वन अधिकार अधिनियम के समान यह अधिनियम मछुआरों के अधिकारों की रक्षा करता है।

१.४ उत्पादक वितरक उपभोक्ता के बीच नव संबंधो के लिए प्लेटफार्म:

विकल्प संगम प्रक्रिया का वैकल्पिक फ्रेमवर्क नोट आर्थिक प्रजातंत्र को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित करता है; जिसमें स्थानीय समुदाय और व्यक्तियों (दोनों उत्पादक और उपभोक्ता) का उत्पादन व्यवस्था, वितरण, आदान प्रदान और बाज़ार पर नियंत्रण होता है। जिसमें मुख्य सिद्धांत स्थानीयकरण है और उसे ऊपर के स्तर के व्यापार और लेन-देन को बराबरी के सिद्धांत पर सुनिश्चित किया जाता है। जिसमें निजी संपत्ति समुदायिक व्यवस्था को तय करती है और मालिक और कामगारों के बीच अंतर को खत्म करने का प्रयास रहता है।

भारत में, इस प्रकार के नए संबंधों को बनाने के लिए और साथ ही विश्वास के आधार पर पुराने संबंधों को भी पुनर्जीवित करने के लिए कई प्रयास किए गए है। इसके कुछ उदाहरण है:

- दिल्ली में खाद्य सुरक्षा पर शहरी गरीबों, रेहडी-पटरी वालों (स्ट्रीट पेंडर) और छोटे किसानों को आपस में जोड़ने का प्रयास जनपहल और हॉकर फीडरेशन कर रहें है।
- मुंबई में शहरी गरीब क्षेत्रों में रहनेवालों को सुरक्षित और पोषक भोजन उपलब्ध कराने के लिए चार संगठन अंतर्रा, अवार्ड, एस.एस.पी क (स्वयं शिक्षण प्रयोग) और युवा काम कर रहे है। अपने प्रयास में

संगठनों द्वारा महाराष्ट्रा के रत्नागिरि, रामगढ़, लातूर और ओसमनाबाद ज़िलों में शहर और गांव के बीच भोजन के सार्थक आदान–प्रदान और संबंधित ज्ञान पर काम कर रहे हैं।

- तेलंगाना के जहीराबाद में डेक्कन डेवलपमेंट सोसायटी की महिला किसानों द्वारा जवार आधारित वैकल्पिक जनवितरण प्रणाली को संचालित किया जा रहा हैं।
- चेन्नई और पंजाब में किसानों और खरीदारों के बीच सीधा संबंध बनाने के लिये कुदरती हाट और आर्गेनिक किसान बाजार प्लेटफार्म जैसे माध्यम शुरू किये गए हैं।

शहरी क्षेत्रों को कंक्रीट के जंगलों के तौर पर देखा जाता है जो अपनी भोजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए गांवो पर निर्भर रहते हैं। ग्रामिण शहरी विभाजन का मिटाने के प्रयास में कस्बों और शहरों में किचन गार्डन, छतों पर गार्डन और साझी गार्डनिंग को लेकर लोगों में रूचि बढ़ रही है और इसके माध्यम से लोग अपने भोजन की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास कर रहें है। शहरी गार्डनिंग पर बुकलेट और स्थानीय कार्यक्रम इसको बढ़ावा या प्रोत्साहन दे रहें है। इसका एक उदाहरण बैंगलोर में आयोजित ऊठा फ्रॉम योर थुटा (आपके गार्डेन से भोजन) का कार्यक्रम है। कुछ स्थानों पर इसके लिए सरकार सहयोग कर रही है। उदाहरण के लिए वेनगिरी के लोग (कोझीकोडे सिटी कार्पोरेशन का वार्ड नं ७) कार्पोरेशन कॉन्सिलर के सहयोग से निजी और सार्वजनिक भूमि पर जैविक खेती कर रहें है।

२. भोजन, उर्जा और पर्यावरण:

खाद्य व्यवस्था चाहे वह कृषि, पशुपालन, मछली–पालन या शिकार संग्रहण हो सभी पर्यावरण से संसाधन और उर्जा को लेते हैं। यह सभी अपने आसपास की जैवविविधता से प्रभावित होते हैं और इसको प्रभावित करते हैं। इसमें भूमि, जल, हवा और जलवायु भी शामिल है। सहयोगी लचीली खाद्य उत्पादन व्यवस्था वैश्विक जलवायु परिवर्तन और परिस्थितिकिय और कृषि–संबंधित संकटों के समय महत्त्वपूर्ण भुमिका निभाती है। इसके साथ ही खाद्य उत्पादन प्रसंस्करण, बिक्री और उपभोग को पर्यावरण सतत बनाने का भी प्रयास किया गया है। पर्यावरण के विपरीत गतिविधियों और नीतियों को लेकर आंदोलनों[१४] के माध्यम से विरोध और चुनौती देना भी एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। यहाँ कुछ तरीकों/उपायों को बताया गया है जिसका इस्तेमाल करते हुए लोग हमारी खाद्य व्यवस्था, पर पड़ने वाले नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

२.१ परिस्थितिकीय कृषि को सहयोग और प्रोत्साहन

भारत में १९६०–७० के दशक में हरित क्रांति की शुरूआत हुई और एक मजबूत नीति के माध्यम से रसायनों पर आधारित औद्योगिक

१४. लेख के १.१ खंड मखाद्य संप्रभुता पर अभियान और घोषणाएंफ में जिसका वर्णन दिया गया है।

कृषि, हाइब्रिड बीज, मशीन आधारित कृषि और फसल के प्रारूपों में बदलाव वाले प्रतिमान को बढ़ावा दिया गया था। इससे हुए पर्यावरण की क्षति और संबंधित जैवविविधता की हानि प्रत्यक्ष है और इसको अधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया है।[१५] यह भी तथ्य है कि भारत की दो तिहाई कृषि वर्षा आधारित है। इस स्थिति में रसायनों का इस्तेमाल (विशेषकर कीटकनाशकों और खर्पतवार नाशकों का उपयोग) महंगा होने के कारण हमारी कृषि व्यवस्था में पूरी तरह से अपना स्थान बनाने में असफल रहा है।

इस संदर्भ में जैविक खेती, पर्माकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, कृषि परिस्थितिकीय पुनर्योजी कृषि और कमसे कम बाहरी चीज़ों का इस्तेमाल के पक्ष में समर्थन बढ़ रहा हि। इसके लिए उत्पादन और मार्केटिंग करने वाले कृषि संगठन तथा जैविक खेती करने वाले कई लोगों के निजी प्रयासों का योगदान है। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जैविक कृषि संगठन (ओ. एफ. ए. आइ.) और स्थायी और संपूर्ण कृषि समूह (आशा) जैसे संगठन जैविक किसानों की सहायता कर रहें है। यह संगठन सरकारों के साथ मिलकर किसानों के मुद्दों और चिंताओं के समाधान की ओर काम कर रहे हैं। नवीनता और नई तकनीकी को ध्यान में रखने के साथ–साथ चल रहें प्रयासों में कृषि के पारंपरिक तरीकों को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाकर पुनःजीवित करने का प्रयास हो रहा हैं। इन सभी विचारों और मॉडलों के केंद्र पर जीवाश्म–ईंधन–आधारित उर्जा व्यवस्था की जगह रिन्यूवेबल (अक्षय) उर्जा व्यवस्थाओं को लाना है जिसमें मानव और पर्यावरण के बीच संबंध पर कम प्रभाव पड़ता है।

परिस्थितिकीय कृषि पर काम कर रहे किसानों या इसकी ओर जाने वाले कृषि समुदाय अभी भी बहुत कम संख्या में है। कृषि विभाग के कार्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों की कहानी अभी भी वही है कि इनके द्वारा रसायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और हाइब्रिड बीजों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुछ स्थितियों में इनके जैविक खेती संबंधित कार्यालय भी हैं लेकिन फिर भी अधिकतम गतिविधियां और फंड का गैर जैविक पहलू पर इस्तेमाल हो रहा है। यह भी ज़रूरी नही है कि हर प्रकार की जैविक खेती परिस्थितिकीय के अनुरूप ही हो क्योकि इससे जुड़े कई और सवाल भी हैं कि: किस प्रकार की सिंचाई का इस्तेमाल हो रहा है (विद्युत आधारित या जल आधारित)? बीजों का स्रोत क्या है(क्या यह जी.एम. हैं)? फसल का चुनाव कैसा है (क्या यह स्थानीय स्तर के अनुरूप है)? ये सभी पहलू/मुद्दें पर्यावरण पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।

२.२ जल केंद्रित कृषि

समय आ गया है कि हमारे मंत्रालयों और कृषि विज्ञान विभाग यह सोचना या समझना बंद करें कि हमारे देश में चली आ रही कृषि व्यवस्था का वर्षा–आधारित होना एक समस्या

१५. इस कथन को पक्ष में इंटरनेशनल फूड पॉलसी रिसर्च इंस्टिट्यूट और पेस्टीसाइड एक्शन नेटवर्क एशिया और पेसिफिक के दस्तावेज़ देखें। www.panap.net/sites/default/files/eyeonirri_irrisnotsogreenrevolution.pdf and http://www.ifpri.org/publication/green-revolution

है। बल्कि, इस व्यवस्था को सहयोग करने की जरूरत है जो कि कई मायनों में हमारे पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ जल के व्यवस्थित इस्तेमाल पर भी आधारित है। भूजल पर आधारित गहन–सिंचाई को मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ाने का एक कारण समझा जा रहा है। जल से संबंधित जानकारी मिट्टी ने नमी, मिट्टी का स्वास्थ्य, फसल के चयन और फसल–पानी के बजट के साथ एस.आर. आइ[१६] तकनीक (चावल के बहुतायत उपज पर आधारित व्यवस्था) के समझ पर निर्भर है। इसके साथ सूखे जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना जैसे तालाब, नहरें, कुएं, झीलें और जलयुक्त स्रोतों का संरक्षण जल आधारित कृषि की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।

जल आधारित कृषि से जुड़े कुछ उदाहरण:

- सूखी भूमि पर परिस्थितिकीय कृषि को किसानों के समूहों और प्रयासों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे जुड़े दो मुख्य उदाहरणों में एक आंध्रप्रदेश का टिमबाकटु कलेक्टिव है और दूसरा तेलंगना देक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के संघम हैं।
- वर्षा आधारित कृषि पुनर्जीवन (आर.आर. ए.) नेटवर्क के माध्यम से बड़े स्तर पर वर्षा आधारित कृषि पर जानकारी और इसको प्रोत्साहित करने का प्रयास हो रहा है।
- गाँव के स्तर पर समुदायों के नेतृत्व में सूखे के समाधान और सम्मिलित जल प्रबंधन की दिशा में प्रयास किए जा रहें हैं। इसके प्रमुख उदाहरणों में महाराष्ट्र के रालेगन सिद्धि और हिवरे बाजार है।
- महबूब नगर (और आंध्रप्रदेश के अन्य हिस्सों) में भूजल (ग्राउंडवाटर) समूहीकरण के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। हैदराबाद स्थित गैरसरकारी संस्था वास्सान (डब्लू.ए.एस.एस.ए.एन) के सहयोग से ५० से १०० एकड भूमि पर पाइपलाइन की ग्रिड को बिछाया है और समुदाय आधारित भू–जल नियमों के लिए संस्थाओं की स्थापना की है।
- कच्छ की भुज–स्थित एन.जी.ओ एरिड कम्युनटीज एंड टेक्नालॉजीस (ए.सी. टी) भूजल प्रबंधन के विज्ञान को समझने और इसके लिए नीति को बनाने के लिए समुदाय के साथ काम कर रही है। इसके लिए संस्था गांव के युवाओं को पैरा–जियो–हाइड्रोलॉजिस्ट के तौर पर ट्रेनिंग दे रही है। इन युवाओं को समुदाय के साथ काम करने के लिए तैयार किया जाता है।

२.३ परिदृश्य (लैंडस्केप) की परिस्थितिकीय विशेषता को बनाए रखना

परिस्थितिकीय विचारों में सभी मुद्दों के लिए एक समाधान शामिल नहीं है। बल्कि, इसमें सभी व्यवस्थाओं और भू–परिदृश्यों की अखंडता के लिए सम्मान को महत्त्वपूर्ण समझा जाता है। इसलिए, रेगिस्तान या धारा के क्षेत्र खाली पडी अनुपयोगी भूमि नहीं हैं जों फैक्ट्रियों को खडा करने के लिए उपलब्ध हैं। नदियां केवल जल विद्युत उत्पादन के लिए नहीं हैं। हमारे तटीय क्षेत्र बंदरगाहों और व्यापार के लिए नहीं है और

१६. यह श्रम आधारित चावल ऊगाने की विधि है जिसमें जडों के विकास पर ध्यान दिया जाता है और कम पानी का इस्तेमाल किया जाया है।

जंगल संसाधनों के खनन के लिए नहीं है। क्योंकि ये सभी परिस्थितकीय तंत्र के महत्त्वपूर्ण हिस्सें है। यह न केवल हमारे भोजन के साधनों और हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, अध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित हैं बल्कि यह हमारे ग्रह की पूरी परिस्थितिकीय स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं। इन इकोसिस्टमों की सुरक्षा के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर स्थानीय समुदायों के साथ काम करने वाले व्यक्ति, समूह, आंदोलन और नेटवर्क काम कर रहे हैं। उनके प्रयास खाद्य व्यवस्थाओं की परिस्थितिकीय विशेषता या अखंडता को संरक्षित करने में योगदान देते हैं।

३. खाद्य और सांस्कृतिक विविधता:

हमारा भोजन और हमारे खाने का तरीका हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। लेकिन वर्तमान में रिवाजों और आधुनिकता के सम्मिलित परिवेश में विश्व में चल रही एकरूपता वाले आहार के कारण स्थानीय किस्मों, खाना पकाने के तरीकों और इससे जुड़े ज्ञान की व्यवस्थाओं के खो जाने का खतरा है।

भारत में फसलों और घरेलू पशुओं तथा जंगल आधारित भोजन की विविधता है। लेकिन, वर्तमान में हमारी विविधता तेज़ी से लुप्त हो रही है। इसके कई कारण हैं जिसमें आधुनिकीकरण, पारंपरिक तरीकों को नीतियों में शामिल नही किया जाना, प्रवास, शहरीकरण, बाजार की अर्थव्यवस्था का दबाव, भूमि के उपयोग में बदलाव, कृषि से जुड़े रिसर्च में आधुनिक, अधिक उत्पादन वाली किस्मों को बढ़ावा, खाद्य संस्कृति पर मीडिया का प्रभाव, और सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों में बदलाव, शामिल है।

यदि हम विविधता को लचीलेपन के एक तत्त्व के रूप में देखते है तो भोजन के प्रकार और व्यजनों की सांस्कृतिक विविधता के अस्तित्व का समर्थन करने और संबंधित ज्ञान को मज़बूत करने के लिए विकल्पों को बनाने की आवश्यकता है।

३.१ बीज और पशुधन की किस्मों की विविधता का उत्सव

स्थानीय किस्मों से जुड़े मेले और त्यौहार उत्सव के तौर पर होते हैं जो इस धरोहर के सतत प्रवाह, लेनदेन और पुनरूत्पादन के लिए एक अवसर प्रदान करते हैं। इनके माध्यम से लोगों की सामान्य चिंताओं को सामने लाने का अवसर भी मिलता है।

वर्तमान में पूरे देश में इस तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। कर्नाटक के मालनाद क्षेत्र में महिलाओं का समूह वनस्त्री मालनाद मेले का उत्सव मनाती है। यह एक वार्षिक उत्सव होता है जिसमें उनके द्वारा बचायी गई और ऊगाई गई स्थानीय बीजों की कीस्मों को प्रदर्शित किया जाता है। पिछलें १७ वर्षों से डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी एक वार्षिक

मोबाईल (गतिशील) जैवविविधता त्यौहार को मनाने में सहयोग दे रही है जिसमें पूरे ज़िले के कई गांवों में बैलगाड़ियों में बीजों की विविधता को लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाता है। कच्छ के घास क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष बन्नी पशु मेले को आयोजित किया जाता है। इस मेले में स्थानीय पशु, विशेष रूप से बन्नी भैंस की किस्म, को शामिल किया जाता है। कई अन्य समूह हैं जो मेले का आयोजन करते हैं जिसमें सहज समृद्ध, भारत बीज स्वराज मंच, वागधारा चेतना, सहज बीज, लिविंग फार्म्स, बसुधा, भारत का मिलेट नेटवर्क (मिनी), पश्चिम श्रीधरकथी जनकल्याण संघ, बीज बचाओ आंदोलन, थनल/अपना चावल बचाओ अभियान (सेव आवर राइस कैंपेन) और सलीम अली फाउंडेशन शामिल हैं। इसके अलावा कई लोग विशेष रूप से बीजों के संरक्षक हैं जैसे– देबल देब, नटवर सारंगी और बाबूलाल दाहिया, जो अलग–अलग तरीकों से पारंपरिक बीजों को बचाते आ रहे हैं और उनका प्रसार भी कर रहे हैं।[१७]

३.२ आहार और पोषण में गैर–कृषि आहार/ भोजन की भूमिका की स्वीकार करना:

भारत में कई आदिवासी समुदायों द्वारा ३९०० से अधिक जंगली पौधों का इस्तेमाल भोजन के तौर पर किया जाता है। ये जंगली पौधे इन समुदायों के संस्कृति और पोषण का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं। लिविंग फार्म्स ने ओड़िशा में आदिवासी समुदायों की खाद्य सुरक्षा[१८] के लिए वनों पर भोजन की निर्भरता को जांचने के लिए एक अध्यन मजंगल: भोजन उत्पादित करने के स्थानफ किया था। इस अध्यन से पता चला कि ओड़िशा के रायगढ़ और सुंदरगढ़ के सर्वे किए गए परिवारों ने ६ महिने से भी कम समय में विभिन्न प्रकार के १२१२ वन उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग किया था।

गैर–उत्पादित भोजन केंद्रित त्यौहारों और कार्यशालाओं (वर्कशॉप) का आयोजन इस महत्त्वपूर्ण संसाधन के संरक्षण में मदद करता है। दिसंबर २०१४ में दिल्ली आयोजित तीन दिवसीय वन आधारित भोजन के त्यौहार में १३ राज्यों से गैर उत्पादित वन भोजन की १२०० किस्मों को प्रदर्शित किया गया था[१९]। इस त्यौहार के माध्यम से अपने प्राकृतिक धरोहर, संस्कृति और सांझे भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सहानुभूति और सुशासन की अपील की गई थी। खाद्य विविधता के उत्सव के अलावा वन अधिकार अधिनियम २००६ के अनुरूप समुदाय आधारित विकेन्द्रीकृत प्रशासन वन संरक्षण के साथ साथ भोजन की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा में योगदान दे सकता है।

१७. उदाहरण के लिये देखें: http://www.vikalpsangam.org/article/debal-deb-the-barefoot-conservator/, http://www.vikalpsangam.org/article/natwar-sarangi-of-odisha-the-individual-revolutionary/ और http://www.vikalpsangam.org/article/a-farmer-saving-our-heritage-of-seeds/#.WctUxGWO50s

१८. इस अध्यन को दिशा, शक्ति और आशा नाम के संगठनों व संस्थाओं के सहयोग से किया गया था। http://agrobiodiversityplatform.org/files/2014/10/Forests-as-Food-producing-habitats.pdf-28th-September.pdf

१९. लिविंग फार्म्स, कल्पवृक्ष, विविधारा, शांति प्रतिष्ठन और अन्य के द्वारा आयोजित किया गया था। http://www.slideshare.net/forestfoods/forest-food-and-ecology-festival-december-2014

३.३ खाद्य व्यवस्थाओं से जुड़े ज्ञान का उत्सव:

खाद्य पदार्थों के संरक्षण के तरीकें (किण्वन, सुखाना, लेप चढ़ाना, आदि), खाना पकाना, आहार के विभिन्न समूह या संयोजन, मसालों का इस्तेमाल, ठंडा और गर्म भोजन, स्लो और फास्ट भोजन व्यवस्थाएं, दवाई के तौर पर भोजन का उपयोग आदि विभिन्न भारतीय भाषाओं, कविताओं और स्थानीय कलाओं से जुड़े हुए है। इसके अलावा पारंपरिक कृषि समुदायों, मछुआरों और चरवाहों के पास स्थानीय परिस्थितिकीय खाद्य व्यवस्थाओं से जुड़े ज्ञान की संपत्ति है। इन समुदायों को ज्ञान है कि किन तरीकों का इस्तेमाल करके परिस्थितिकीय तंत्र से सामंजस्य बनाए रखा जा सकता है। इस तरह की शिक्षा किताबों में मिलना बड़ा मुश्किल है और अभी स्थिति यह है कि युवा पीढ़ी का इस ओर झुकाव नहीं होने के कारण धीरे–धीरे यह समाप्त हो रही है। इस जलवायु परिवर्तन के दौर में जीवन यापन करने के लिए सही मायनों में क्या उनको जरूरत नहीं होगी[२०]? एक विश्वव्यापी क्रम–विकास–संबंधी दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है कि इन भाषाओं, भोजनों और संस्कृतियों के बिना भविष्य कैसा होगा?

पुणे की मराठी विज्ञान परिषद ने जब गैर बाजारी सब्जियों आधारित रेसपी के लिए प्रतिस्पर्धा की घोषणा की तो पुणे शहर में ही केवल इस प्रतिस्पर्धा में १५० सब्जियों[२१] शामिल हुई थीं।

२०. उदाहरण के लिए देखें: ensia.com/articles/can-grains-of-the-past-help-us-weather-storms-of-the-future/

२१. एस.खोल्हेकर, २०१५; निजी वार्तालाप

कार्यशालाएं, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पार्टीसिपेटरी रूरल अप्रेज़ल या पी.आर.ए), त्यौहार, स्थानीय प्रतिस्पर्धाएं, नेटवर्क, सामुहिक या कुछ मामलों में मोबाइल फोन से ग्रुप मैसेज और ई–मेल ऐसे माध्यम हैं जो भोजन को एकत्र करने, विभिन्न प्रकार की रेसपी, और पारंपरिक और स्थानीय समझ के आधार पर स्वास्थ के बारे में ज्ञान को साझा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके अलावा सेंटर फार सांइस एंड इनवायरमेंट (सी. एस.ई.) के द्वारा स्थानीय भोजन की विविधता और जंक–फूड से संबंधित समस्याओं पर किया गया परीक्षण भी एक महत्त्वपूर्ण पहलू है।

यह सब सभी के सम्मिलित ज्ञान को बढ़ने में सहयोग करता है और अपनी खाद्य प्रथाओं से जुड़ी अपनी यादों को ताज़ा करने का भी अवसर है जो नहीं तो धीरे–धीरे भुला दी जा रही है।

४. भोजन और समाज:

पिछले ५० वर्षों में हरित क्रांति, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के दौर में हमारा खाद्य उत्पादन और खाद्यों तक पहुंच बड़े स्तर पर बदलाव से गुज़रा है। इसके साथ समाजों में महिलाओं की बढती हुई भूमिका भी एक विषय है। महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में जहां एक ओर खाद्य उत्पादन में उनकी भूमिका कम सशक्त हुई क्योंकि बाजार पर निर्भरता खाद्य पदार्थों के लिए बढ़ी है वहीं दूसरी ओर पुरूषों के शहरों की तरफ रोजगार की तलाश में प्रवास के कारण महिलाओं में कृषि का बोझ भी बढ़ा है। इस स्थिति में जेंडर से जुड़ी सोच और संस्कृति तथा सामाजिक बदलाव भी मुद्दें हैं।

पूरें भारत के ग्रामीण और शहरी बाज़ारों में बड़े कंपनियों के पैक और प्रोसेस (प्रसंसकरित) खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध हैं। रेस्टारेंटो में भोजन की मेन्यू सीमित होती है जिसमें अक्सर स्थानीय व्यंजनों की उपेक्षा होती है। इसके अलावा पोषक भोजन की उपलब्धता और पहुंच को लेकर शहर और गाँव के बीच बड़ा अंतर है। सामाजिक संस्कृतिक की गतिविधियां और शक्ति की राजनीति आधारित पक्षपात परिवार और लिंग (जहां महिलाओं को अच्छे भोजन की उपलब्धता सीमित है) वर्ग, जाति, और समुदाय के स्तर पर प्रस्तुत है और यह स्थानीय और वैश्विक स्तर पर फैला हुआ हैं। वनों, खेतों, चारागाहों और मछली पालन क्षेत्रों की भूमि से अलगाव और इन पर असुरक्षित सीमित पहुंच के कारण अपने में संतुष्ट उत्पादक वंचित उपभोक्ताओं में बदल गए हैं। जंक फूड या जन वितरण प्रणाली (पी.डी.एस) पर गरीब ग्रामीणों और शहरी लोगों की निर्भरता लगातार बढ़ रही है। ये दोनों प्राय सुरक्षित और पोषक भोजन की आश्वासन नहीं देते है।

विशेषज्ञता, वैश्वीकरण और खेतों और फार्मों से दूर शहरी आवासों की स्थापना के चलते हममें से बहुतों ने भोजन से अपने संबंधों को लेकर दूरी बनाई है। जिन लोगों के पास पर्याप्त धन है उनके किए भोजन आसानी और सस्ते में उपलब्ध वस्तु मात्र है न कि जीवन का एक हिस्सा है। हम व्यक्तिगत रूप से अपने भोजन को लेकर संवेदनशील और चिंतित नहीं है।

बारिश और सूखे के कारण फसलें प्रभावित होती हैं और रसायनों (कैमिकल) का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा संसाधनों का उपभोग किया जाता है या कचरा भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नही है किं खाद्य उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच संबंध या हमारे खाने की थाली का पर्यावरण और समाज के साथ संबंध का अस्तित्व खत्म हो गया है। प्रत्येक दिन ये संबंध स्थानीय निर्णयों के साथ–साथ वैश्विक नीतियों से प्रभावित होते हैं जिसमें खाद्य उत्पादन और वितरण प्रणालियों पर कार्पोरेट के नियंत्रण की भी भूमिका है। हम सभी लोग, चाहे वे उत्पादक ही हों, उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता की पसंद खाद्य उत्पादन व्यवस्था को बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका रखती है। इसी पसंद के आधार पर खाद्य उत्पादन व्यवस्था को सामाजिक और परिस्थितिकीय बनाया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए समूहों, संगठनों और व्यक्तियों के द्वारा प्रसंस्कारित भोजन, पैकेजिंग, औद्योगिक खेती के तहत उत्पादित एक प्रकार के भोजन और लंबी दूरी पार करके उपभोक्ता तक पहुचने वाले भोजन के सामाजिक और परिस्थितिकीय प्रभावों के बारे में जन जागरूकता फैला रहे हैं।

इन सभी के बीच आंदोलन एक ऐसे सामाजिक बदलाव की मांग कर रहे हैं जिसमें हमारी शिक्षा के औपचारिक तरीकों में बदलाव, खाद्य सुरक्षा के लिए राज्य की जवाबदेही और विश्वास आधारित पुराने और नए समुदायिक नेटवर्कों को मज़बूत करने की बात आती है।

४.१ सीखनें की व्यवस्था को भोजन के साथ जोड़ना:

वर्तमान औपचारिक शिक्षा व्यवस्था भोजन से जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक न्याय से संबंधित विषयों से अलग होने के साथ–साथ हमें वास्तविक खाद्य उत्पादन से भी दूर करती

है। मानवता की जरूरतों का सामना करने के लिए लचीलापन लाने के लिए युवा अवस्था में शुरूवात करने से अच्छा कोई नहीं हो सकता है। यदि ऐसा न हो तो यह केवल सोच बनकर रह जाता है और वास्तविकता से दूर रहता है। हमारे नौजवान हमारी आशा है और हमेशा नौजवानों के पालन–पोषण पर ध्यान होना चाहिए विशेषकर इस कठिन समय में। भोजन का वैचारिक और प्रायोगिक स्तर पर शिक्षा के साथ जुड़ाव महत्त्वपूर्ण है क्योंकि जो हम युवा अवस्था में सीखतें है वह पर्यावरण और समाज को लेकर हमारा दृष्टिकोण विकसित करने में महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालता है।

नीचे बताए गए कुछ उदाहरण भोजन और सीखने की व्यवस्था के बीच संबंध को सुदृढ़ करने की ओर कदम बढ़ाते हैं। मध्यप्रदेश के साकाद गांव के आधारशिला शिक्षा केंद्र के पास ६.५ एकड़ खेत है जहां शिक्षक और बच्चे साथ मिलकर अनाजों और सब्जियाँ ऊगाते हैं।

- मध्यप्रदेश के साकड गांव के आधारशिला शिक्षा केंद्र के पास ६.५ एकड़ खेत हैं जहां शिक्षक और बच्चे साथ मिलकर अनाजों और सब्जियाँ ऊगाते हैं।
- तेलंगना के मेडक क्षेत्र के लगभग १५० स्कूलों में विद्यार्थी मेडक शिक्षा विभाग, यूनीसेफ और सी.ई.ई. के सम्मिलित प्रोजेक्ट के तहत अपने मिडडे मील (मध्यहांन भोजन) के लिए सब्जियों को ऊगा रहे है।
- मध्यप्रदेश के बस्तर जिले के अंतगढ़ के १० आवासीय आदिवासी स्कूलों में जिला प्रशासन के सहयोग से फलों और सब्जियों के लिए आर्गेनिक किचन गार्डन को विकसित किया जा रहा है।
- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी. एस.ई) ने स्कूलों से कैंटीन प्रबंधन कमेटी बनाने के लिए कहा है। इन कमेटीयों को यह सुनिश्चित करना है कि कैंटीन से स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराया जाए न कि जंक फूड।
- शिक्षा पाल्यक्रम में महत्त्वपूर्ण बदलाव इस दिशा में एक प्रयास हैं। उदाहरण के लिए उत्तराखंड में उत्तराखंड सेवा निधि ने प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) पाठ्यक्रम के आधार पर पर्यावरण विज्ञान की किताबों 'हमारी धरती हमारा जीवन' की श्रृंखला को तैयार किया गया है। न्याला कोएल्हों द्वारा तैयार किया गया इसी शीर्षक वाला एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क और अभ्यास पुस्तिका मटेंडिंग ए स्कूलयार्ड गार्डनफ भोजन और शिक्षा को आपस में जोड़ता है।

४.२ खाद्य को लेकर राज्य का उत्तरदायित्व:

सभी नागरिकों के भूख और कुपोषण से मुक्ति के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए। भोजन के अधिकार अभियान के शब्दों में कहा गया है कि न केवल समान और स्थायी खाद्य व्यवस्था बल्कि आजीविका सुरक्षा (जैसे काम का अधिकार, भूमि सुधार और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार) भी शामिल है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एन.एफ.एस.ए) जिसे कई भोजन

अधिकार अभियानों के बाद २०१३ में पारित किया गया था इस दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। इस अधिनियम से चले आ रहे खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों (पी.डी.एस), मिड डे मील और एकीकृत बाल विकास सेवा, भोजन को कानूनी अधिकार में बदलता है। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत के लगभग दो तिहाई लोगों को सब्सिडी के साथ अनाजों को उपल्ब्ध कराना है। इस अधिनियम को खादय् व्यवस्था से जुड़ी सभी समस्याओं के समधान के तौर पर नहीं देखा जा सकता है लेकिन प्रभावी तरीकें से इसको अमल में लाने से यह भूख को हटाने का एक महत्त्वपूर्ण साधन हो सकता है। इसके प्रभावी होने के लिए अच्छी तरह से काम करने वाली जनवितरण प्रणाली, मजबूत बाल पोषण व्यवस्था, और महिलाओं को मातृत्व लाभ जरूरी हैं। वर्तमान राजनैतिक माहौल में इसके लिए जरूरी है कि एक मजबूत अभियान हो और खाद्य सुरक्षा के लिए राज्य की जिम्मेदारी की मांग के लिए प्रजातांत्रिक तरीकों[२२] का इस्तेमाल किया जाए।

४.३ विश्वास आधारित सामुदायिक नेटवर्क:

जहां एक तरफ किसान, चरवाहें, मछुआरे और वनवासी राज्य और निजी क्षेत्र द्वारा सामुदायिक परिस्थितिकीय संसाधनों और ज्ञान के उपयोग के अधिग्रहण को लेकर सुरक्षा के अभियानों और जागरूकता के माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्थायी जीविका और नए तरीके के शहरी–ग्रामीण, उत्पादक–उपभोक्ता के बीच समुदायिक विश्वास और साझा करने की प्रवृत्ति के आधार पर संबंधो का नेटवर्क बना रहें है।

उदाहरण के लिए:

- समुदायिक बीज बैंक पारंपरिक फसलों की किस्मों के बीजों को किसानों को बिना किसी कीमत के देते हैं और सामान्य तौर पर किसान लिए गए बीजों की मात्रा का दो गुना लौटाते हैं।
- टिमबकटू कलेक्टिव या डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी का संगम का प्रयास है कि छोटे आर्गेनिक किसानों के लिए इसे आर्थिकरूप से सहज बनाया जाए ताकि एक साथ मिलकर खाद्य फसलों को उत्पादित करके प्रसंस्करित और पैज करके बाजार में बेचा जाए।
- समुदाय द्वारा–सहयोग –आधारित कृषि (सी.एस.ए.) मॉडल इस पर आधारित है कि उपभोक्ता, किसानों द्वारा उत्पादित कृषि उत्पादों को खरीदेंगे। इसका एक उदाहरण पुणे ज़िले के गोरस आर्गेनिक कृषि संगठन का मॉडल है।
- इसके अलावा दूसरे भी व्यवसाय हैं जो उत्पादन और मार्केटिंग के लिए आपस में विश्वास पर आधारित है जैसे कि सहभागी गारंटी व्यवस्था (पार्टीसिपेटरी गारंटी सिस्टम–पी.जी.एस) है। पी.जी. एस विश्वास और सामूहिक जिम्मेदारी के आधार पर समीक्षा प्रक्रिया के द्वारा खाद्य गुणवत्ता को तय करने की दिशा में एक

२२. यह ३० अगस्त २०१४ में भारतीय खाद्य कार्पो रेशन पर हाय लेवल कमिटी की रीपोर्ट की अनुशंसा को बताता है। जिसमँ एन.एफ.यस.ए को घटाने और पी.डी.यस को नगद हस्तांतरण (कैश ट्रांसफर)में बदलने पर चर्चा की गयी है। दोनो खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौती हैं।

दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस प्रक्रिया से जुड़े कई प्रयासों को किया जा रहा है जैसे कि धरनी (आंध्र प्रदेश), संगम आर्गेनिक (तेलंगना), चेतना विकास स्वराज्य ट्रस्ट (उत्तर प्रदेश), मुस्कान जैविक खेती स्वयं सहायता समूह (हिमाचल प्रदेश) और गोरस (महाराष्ट्र) है। इनके तहत जैविक उत्पादों की पहुंच उपभोक्ता तक तय की जाती है।

V. निष्कर्ष

इस लेख में उस खाद्य व्यवस्था की एक संयुक्त तस्वीर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है जो न ही तो पूरी तरह स्पष्ट है और न ही जिसका स्वरूप कभी पूरी तरह से वर्णित किया गया हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो कई संबंधित तत्त्वों की पारस्परिक क्रीड़ा से एक रूप में ढल रही है जो तत्त्व कभी एक दूसरे का विरोध करते दिखते हैं तो कभी एक–दूसरे का पूरक दिखते हैं। यह स्पष्ट है कि खाद्य व्यवस्था से जुड़े सभी जटिल तत्त्वों और उनके जुड़ाव के उल्लेख के लिए यह लेख पर्याप्त नही है। जैसे जैसे व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर विचार विकसित होते हैं तो यह संभव है कि इस लेख में बताए गए कुछ विचार और प्रयास आने वाले समय में अप्रासंगिक, अप्रचलित और अनुपयुक्त हो जाएं।

यह लेख, लेखक का सविनय प्रयास है जिसमें खाद्य् व्यवस्थाओं पर उपलब्ध सीमित जानकारी को विकल्प संगम प्रक्रिया के वैकल्पिक फ्रेमवर्क (ढाचे) के तहत कई जानकर लोगों की मदद से पाठकों के सामने रखा गया है। विकल्प संगम का उद्देश्य एक ऐसे प्लेटफार्म को उपलब्ध कराना है जिसमें रचनात्मक रूप से चुनौती हो और एक–दूसरे से सीखते हुए गठबंधन बने जो सिम्मिलित रूपसे वैकल्पिक भविष्य से जुड़ा हो। इस लेख की प्रेरणा सही मायनों में खाद्य आधारित विकल्प संगमों[२३] के आयोजनों के विचार से जुड़ी हुई है। ऐसे खाद्य आधारित विकल्प संगमों में भोजन के विभिन्न पहलुओं पर काम करने वाले लोग अपने अलग–अलग विचारों को साझा करने, अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ बांटने के लिए आ सकें ताकि भोजन व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के बीच पारस्परिक संबंध उच्चारित हो पाएँ और वैकल्पिक भोजन व्यवस्था की अवधारणा कर पाएँ।

२३. इस लेख के प्रकाशन के समय इस प्रकार के एक खाद्य/ भोजन संगम का आयोजन ओड़िशा के मुनीगुडा में सितंबर २०१६ में हो चुका है और इसी प्रकार के संगम का आयोजन राजस्थान के बज्जू में अक्टूबर २०१७ में आयोजित किया जाना हैं।

संक्षिप्त अधिनियम **सितंबर २०१७**

हमारे जीवन में भोजन:
भारत में एक वैकल्पिक खाद्य व्यवस्था की ओर कुछ विचार और प्रयास

लेखक: शीबा देसोर

सहयोग: कल्पवृक्ष से मिलिंद वाणी और अनुराधा अर्जुनवाडकर, NISTADS से राजेश्वरी रायना, लोकल फ्युचर्स से ऐलेक्स जैन्सन, अंथरा से नित्या घोटगे, मिसेरियर से आन्या मर्टिनेट, जनपहल से धर्मेंद्र कुमार, आशा से कविता कुरुगंती, और नायला काइल्हो

प्रकाशक
कल्पवृक्ष, अपार्टमेंट–५:, श्री दत्त कृपा,
डेक्कन जिमखाना, पूणे–४११००४
फोन : ९१–२०–२५६७५४५०,
फैक्स: ९१–२०–२५६५४२३९
ईमेल: kvoutreach@gmail.com
वेबसाइट : www.kalpavriksh.org

एडिटिंग: मिलिंद वाणी, अनुराधा अर्जुनवाडकर

अनुवाद: विकल सामदरिया

हिन्दी टाइपिंग: मिथिला काकडे

आर्थिक सहयोग :
मिसोरियर, आचेन जर्मनी
रसर्च ऑक्सफेम भारत के सहयोग से की गई थी।

निजी वितरण के लिये
प्रकाशित विषयवस्तु (प्रिंटेड़ मॅटर)
बुक पोस्ट
सेवा में –